



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072024-255870  
CG-DL-E-29072024-255870

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415]  
No. 415]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 2024/श्रावण 7, 1946  
NEW DELHI, MONDAY, JULY 29, 2024/SHRAVANA 7, 1946

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 454(अ).—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र (असाधारण) प्रकाशन की तारीख से, -

- इस आदेश की अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट साधारण सिविल सेवा समूह "ख" पदों के संबंध में अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा और अनुसूची के भाग 1 के स्तंभ (4) और स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उस अनुसूची के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट शास्तियों के संबंध में क्रमशः अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी होगा ;
- इस आदेश की अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट साधारण सिविल सेवा समूह "ग" पदों के संबंध में अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा और अनुसूची के भाग 2 के स्तंभ

(4) और स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उस अनुसूची के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट शास्तियों के संबंध में क्रमशः अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी होगा ;

### अनुसूची

#### भाग 1 - साधारण सिविल सेवा समूह "ख"

क्रम सं.	सेवा का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने के लिए और शास्तियां, जो अधिरोपित की जा सकेंगी, के लिए सक्षम प्राधिकारी (केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 में मद संख्याओं को निर्दिष्ट करते हुए)		अपील प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	प्राधिकारी (4)	शास्तियां (5)	(6)
1.	माल और सेवाकर अपील अधिकरण (जीएसटीएटी) में सभी समूह "ख" पद	अध्यक्ष, माल और सेवाकर अपील अधिकरण तथा उसकी अनुपस्थिति में माल और सेवा कर अपील अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ का न्यायिक सदस्य	अध्यक्ष, माल और सेवाकर अपील अधिकरण तथा उनकी अनुपस्थिति में माल और सेवा कर अपील अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ का न्यायिक सदस्य	सभी	सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

#### भाग 2 - साधारण सिविल सेवा समूह "ग"

क्रम सं.	सेवा का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने के लिए और शास्तियां, जो अधिरोपित की जा सकेंगी, के लिए सक्षम प्राधिकारी (केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 11 में मद संख्याओं को निर्दिष्ट करते हुए)		अपील प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	प्राधिकारी (4)	शास्तियां (5)	(6)
1.	माल और सेवाकर अपील अधिकरण (जीएसटीएटी) में	रजिस्ट्रार, माल और सेवाकर अपील अधिकरण तथा उसकी	रजिस्ट्रार, माल और सेवाकर अपील अधिकरण	सभी	अध्यक्ष, माल और सेवाकर अपील अधिकरण

	सभी समूह "ग" पद	अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	तथा उसकी अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय		
--	-----------------	---	--	--	--

[फा. सं. ए-50050/99/2018-सीईएसटीएटी-डीओआर]

बालसुब्रमणियन कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th July, 2024

**G.S.R. 454(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of the rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965; the President hereby directs that, -

- (1) In respect of the posts in the General Central Service Group "B", specified in column (2) of the part 1 of the Schedule to this order, the authority specified in column (3) of the part 1 of the Schedule shall be the appointing authority and the authority specified in column (4) and column (6) of the part 1 of the Schedule shall be the disciplinary authority and appellate authority respectively in regard to the penalties specified in column (5), thereof;
- (2) In respect of the posts in the General Central Service Group "C", specified in column (2) of the part 2 of Schedule to this order, the authority specified in column (3) of the part 2 of Schedule shall be the appointing authority and the authority specified in column (4) and column (6) of the part 2 of Schedule shall be the disciplinary authority and appellate authority respectively in regard to the penalties specified in column (5), thereof;

with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India (Extraordinary).

**SCHEDULE****PART 1 - GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP "B"**

Serial Number (1)	Description of Service (2)	Appointing Authority (3)	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965)		Appellate Authority (6)
			Authority (4)	Penalties (5)	
1	All Group "B" posts in the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT)	President of Goods and Services Tax Appellate Tribunal and in his absence the Judicial Member of the Principal Bench of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal	President of Goods and Services Tax Appellate Tribunal and in his absence the Judicial Member of the Principal Bench of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal	All	Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance

**PART 2 - GENERAL CENTRAL SERVICE, GROUP “C”**

Serial Number (1)	Description of Service (2)	Appointing Authority (3)	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in rule 11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965)		Appellate Authority (6)
			Authority (4)	Penalties (5)	
1	All Group “C” posts in the Goods and Services Tax Appellate Tribunal (GSTAT)	Registrar of Goods and Services Tax Appellate Tribunal and in his absence the Joint Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance	Registrar of Goods and Services Tax Appellate Tribunal and in his absence the Joint Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance	All	President, Goods and Services Tax Appellate Tribunal

[F. No. A-50050/99/2018-CESTAT-DOR-DOR]

BALASUBRAMANIAN KRISHNAMURTHY, Jt. Secy.